प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

04 अगस्त, 2025

'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण' पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिल्ली विधान सभा में प्रस्तुत

'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण' पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं.2) आज दिल्ली विधान सभा के समक्ष रखा गया। इस प्रतिवेदन में समाविष्ट मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

सन्निर्माण गतिविधियों में दस या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को पजीकृत होने की आवश्यकता है। नमूना जांच किए गए दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम जिलों में 97 निजी प्रतिष्ठान, जिन्होंने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) जमा किया था, पंजीकृत नहीं थे। इसी प्रकार, दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार निर्माण में शामिल 25 प्रतिष्ठान भी पंजीकृत नहीं पाए गए।

(पैराग्राफ 2.1(iii)/पृष्ठ 11)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पास दिल्ली में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों (बीओसीडब्ल्यू) की संख्या के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे।

(पैराग्राफ 2.3/पृष्ठ 14)

बोर्ड अपने साथ पंजीकृत बताए गए 6.96 लाख बीओसी कर्मकारों में से केवल 1.98 लाख का ही पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध करा सका। 1.9 लाख लाभार्थियों में से, जिनकी छवि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई थी, 1.19 लाख लाभार्थियों को 2.38 लाख चित्रों के साथ जोड़ा गया, अर्थात व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए एक से अधिक छवियां।

(पैराग्राफ 2.5(क) एवं (ख)/पृष्ठ 20)

उपकर संग्रहकर्ताओं, जिलों और बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार संग्रहित उपकर राशि के आंकड़ों में अंतर था। जिला अभिलेखों और बोर्ड के अनुसार चार वर्षों के लिए उपकर के आंकड़ों में अंतर ₹ 204.95 करोड़ था।

(पैराग्राफ 3.4/पृष्ठ 30)

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट 17 योजनाओं में से केवल 12 योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ प्रदान किए गए थे। कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय कुल प्राप्तियों का केवल 9.53 से 11.33 *प्रतिशत* के बीच रहा सिवाय 2021-22 के जब कोविड महामारी की अवधि से निपटने के लिए बीओसीडब्ल्यू को अनुग्रह भुगतान किया गया था।

(अध्याय 4/पृष्ठ 33)

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सन्निर्माण कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए ₹ 46.08 करोड़ की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय को केवल मार्च 2022 में जारी की गई थी। अनुवर्ती वर्षों के लिए लाभ सितंबर 2023 तक भुगतान किया जाना बाकी था। विभिन्न योजनाओं से संबंधित 4017 दावों में से 134 में वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण में 1423 दिनों तक की देरी भी हुई।

(पैराग्राफ 4.2(i)/पृष्ठ 41)

दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ₹ 4 लाख और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹ 2 लाख की सहायता प्रदान करने हेतु जून 2019 में बोर्ड द्वारा भारत सरकार के निर्देशों को मंज़ूरी दिए जाने के बावजूद, क्रमशः ₹ 2 लाख और ₹ 1 लाख की सहायता ही प्रदान की जा रही थी।

(पैराग्राफ 4.2(ii)/पृष्ठ 42)

भारत सरकार द्वारा राज्यों को (अक्टूबर 2018) सलाह दिए जाने के बावजूद कि वे बीओसी कर्मकारों को काम मिलने तक पारगमन आवास/ श्रम शेड सह रात्रि आश्रय, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेश की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं, बोर्ड ने इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

(पैराग्राफ 4.2(iv)/पृष्ठ 43)

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के साढ़े पांच वर्ष के बाद भी दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की कोई ***सामाजिक लेखापरीक्षा*** नहीं की गई (अक्टूबर 2023)।

(अध्याय 5(i)/पृष्ठ 47)

चार वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार नियोजकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग के चयनित जिलों द्वारा या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा सन्निर्माण स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 5(ii)/पृष्ठ 47)

इस प्रतिवेदन में 2019-20 से 2022-23 की अवधि के संबंध में दिल्ली में 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण' की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों में सन्निर्माण गतिविधियों में सम्मिलित प्रतिष्ठानों की पहचान एवं पंजीकरण और सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण एवं नवीकरण में कमियां; पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों के डाटाबेस में कमियां; सन्निर्माण कर्मकारों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने में अपर्याप्तताएं आदि शामिल हैं।